मुण्डावर (खै...

11/3/26

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०।

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली बाद तकमील के नम्बर से कम होकर पत्रावली जिला रिकॉर्ड अगार में दाखिल हो

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल--तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन आर.ए.एस.

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46/2023	29.03.2023	11.03.2026

बउनवान

1. शीशराम पुत्र परसराम जाति जाट निवासी रानोठ
2. रत्तीराम पुत्र परसराम जाति जाट निवासी रानोठ
3. आशाराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी रानोठ
4. करणसिंह पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी रानोठ
5. बनेसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी रानोठ
6. अतरसिह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी रानोठ
7. दाताराम पुत्र मूलिया जाति जाट निवासी रानोठ तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। (फौत)

7/1 मिश्रो देवी पत्नी दाताराम
7/2 भीमसिंह पुत्र दाताराम
7/3 सत्यवीर पुत्र दाताराम
7/4 रेशमा पुत्री दाताराम
7/5 सविता पुत्री दाताराम
7/6 बनारसी पुत्री दाताराम जातियान जाट निवासीयान रानोठ तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. रवि पुत्र पूरण जाति चमार निवासी रानोठ
2. पूजा पुत्री पूरण जाति चमार निवासी रानोठ
3. शिवानी पुत्री पूरण जाति चमार निवासी रानोठ
4. महादेवी पुत्री बिशनाराम जाति चमार निवासी रानोठ
5. बल्लाराम उर्फ राजकुमार पुत्र बिशनाराम जाति चमार निवासी रानोठ
6. बृजमोहन पुत्र भगवानी जाति चमार निवासी रानोठ
7. मुन्नी पुत्री भगवानी जाति चमार निवासी रानोठ
8. काला पुत्र चमेली जाति चमार निवासी रानोठ
9. मुन्नी पुत्री चमेली जाति चमार निवासी रानोठ
10. रूस्सी पुत्री चमेली जाति चमार निवासी रानोठ
11. सुन्नी पुत्री चमेली जाति चमार निवासी रानोठ
12. शारदा पुत्री बिशनाराम जाति चमार निवासी रानोठ
13. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
14. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर

<u>प्रतिवादीगण</u>

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

उपस्थित :–

वादी अधिवक्ता – श्री नागराज शर्मा

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बरान हाल 172 रकबा 0.44 है0 व खसरा नं0 174 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी इस बाद में विवादित आराजी कहलावेगी। मुलाहिजा हेतु जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है।
2. यह है कि उक्त आराजी अर्सा दराज सैटलमेन्ट होने से पूर्व मिन वादीगण के दावा व पिता मूलिया के नाम सं0 2029 से पूर्व राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन चला आ रहा हैं तथा मिन वादीगण के पिता/दादा मूलिया अपने हिस्से की आराजी पर शान्ती पूर्वक काम करता आ रहा था तथा उनकी फौतगी के बाद मिन वादीगण बिना किसी रोक–टोक के आराजी पर काबिज होकर काष्त करते आ रहे हैं जिस आराजी से दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नही रहा हैं।
3. यह है कि सजरा परिवार निम्न प्रकार हैं।

मूलिया फौत

परसराम फौत	बुधराम फौत	दाताराम	श्रीराम फौत
1– शीशराम	1– आशाराम		1– बनेसिंह
2– रतीराम	2– करणसिंह		2– अतरसिंह
3– सूरजो	3– धनपति		3– धोली
4– सन्तोष	4– माया		4– रजना
			5– सरोज

अर्थात मूलिया के पुत्र परसराम, बुधराम, श्रीराम फौत हो चुके हैं जिनके विधिक वारिशान वादीगण की जद में पक्षकार हैं। जिनके उक्त आराजी में हित निहित हैं तथा शान्ती पूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहें हैं।

4. यह है कि वक्त सैटलमेन्ट से मूलिया काबिज काश्तकार था तथा सम्वत 2029 में सैटलमेन्ट विभाग ने बिना कोई जॉच किये खिलाफ कानून व खिलाफ मौके के प्रतिवादीगण जिनका उक्त आराजी से कभी भी कोई सम्बन्ध वो सरोकार नहीं रहा और ना ही आज मौके पर हैं जिन्हें सम्वत 2029 से हाल जमाबन्दीयात में बिशनाराम का नाम दर्ज कर दिया तथा बिषनाराम की फौतगी के बाद उसके वारिशन भी रिकार्ड पर दर्ज किये हुये हैं। जबकि मौके पर आज भी मिन वादीगण काबिज काश्त हैं।
5. यह है कि पूर्व में उक्त गल्त इन्द्राज की जानकारी मिन वादीगण को नही रही अब दिनांक 07/02/2023 को हल्का पटवारी के पास क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व नकल लेने गये तो हल्का पटवारी ने बताया की राजस्व रिकार्ड में सैटलमेन्ट से पूर्व आपके पिता/दादा मूलिया का नाम

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

दर्ज हो रहा हैं लेकिन सैटलमेन्ट के बाद सं0 2029 से हाल जमाबन्दीयात में प्रतिवादीगण के पिता बिषनराम का दर्ज हैं जिसे दुरूस्त कराना पडेगा।

6. यह है कि उक्त गल्त इन्द्राज की जानकारी होने पर नकल हासिल की व प्रतिवादी सं0 14 गल्त इन्द्राज की दुरूस्ती कराने बाबत निवेदन किया तो यही जवाब दिया की अदालत से आदेश लेकर आओ। उसके बाद प्रतिवादी से भी दुरूस्ती कराने बाबत कहा तो पहले तो हां करते रहे लेकिन अब दिनांक 16/02/2023 को साफ इन्कार कर दिया व धमकी दी की राजस्व रिकार्ड में हमारा नाम हैं इसलिए हम उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय रहेगे व तुम्हें बेदखल कर इसमें पत्थर, रूडी डालेंगे एवं निर्माण करेंगें। यदि वाकई में प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो मिन वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा अपने अधिकारों से वंचित होना पडेगा इसलिए मिन वादीगण प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर हाल जमाबन्दीयात तक दुरूस्ती कराने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। महति कृपा होगी।

(अ) यह है कि डिक्री दुरूस्ती इस आष्य की जारी की जावे की सम्वत 2029 से ताः हाल तब राजस्व रिकार्ड में बिशनाराम जाति चमार निवासी रानोठ व उसके विधिक वारिशान का नाम हैं जिसे हजफ कर राजस्व रिकार्ड सम्वत 2029 से ताः हाल तक मिन वादीगण के नाम का अंकन किये जाने के आदेष फरमाये जावे। दुरूस्ती की जावे।

(ब) यह है कि डिक्री हु0 ई0 दवामी इस आष्य की जारी की जावे की प्रतिवादीगण आराजी हाल खसरा नं0 172 रकबा 0.44 है0 व 174 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर में गल्त नाम के अंकन का फायदा ना उठाये, ना ही उक्त आराजी को कहीं रहन बैय करें, ना आराजी में पत्थर, रूडी डालकर जबरन निर्माण कार्य ना करें। मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

(स) दीगर दादरसी।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू–1 शीशराम, पी.डब्लू–2 करणसिंह, पी.डब्लू–3 बनेसिंह पी.डब्लू–4 कर्णसिंह, पी. डब्लू–5 राजेश, पी. डब्लू 6 रामधन, पी.डब्लू 7 महावीर व दस्तावेज जिसमें प्रदर्श स– 1 जमाबन्दी सम्वत 1955, प्रदर्श स0 – 2 जमाबन्दी 2003, प्रदर्श स0– 3 जमाबन्दी सम्वत 2008–2011, प्रदर्श स0– 4 जमाबन्दी 2012–2015, प्रदर्श स0– 5 खतौनी सम्वत 2029, प्रदर्श स0 – 6 जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2019, प्रदर्श स० – 7 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, प्रदर्श स0 – 8 हाल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श स– 9 जमाबन्दी सम्वत 2073, प्रदर्श स0– 10 जमाबन्दी सम्वत 2066, प्रदर्श सं0 –

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

11 जमाबन्दी सम्वत 2065, प्रदर्श सं0 – 12 जमाबन्दी सम्वत 2058, प्रदर्श स0 – 13 जमाबन्दी सम्वत 2052 पेश किया।

लिखित बहस निम्न पेश है–

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 172 रकबा 0.44 हैक० व ख0 न0 174 रकबा 1.14 हैक0, वाके ग्राम रानोठ तह० मुण्डावर में स्थित हैं।
2. यह है कि उक्त आराजी अर्सा दराज सैलटमेन्ट होने से पूर्व मिन वादीगण के दादा व पिता मूलिया के नाम स० 2029 से पूर्व राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी का अंकन चला आ रहा है तथा मिन वादीगण के पिता/दादा मूलिया अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपर्नूक काश्त करता आ रहा था तथा उनकी फौतगी के बाद मिन वादीगण बिना किसी रोक टोक के आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिस आराजी से दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नही रहा है।
3. यह है कि मूलिया के पुत्र परसराम, बुधराम श्रीराम, व दाताराम फौत हो चुके है जिनके विधिक वारिसान वादीगण की जद में पक्षकार है। जिनके उक्त आराजी में हित निहित है शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।
4. यह है कि उक्त सैटलमेन्ट से मूलिया काबिज काश्तकार था तथा सम्वत 2029 में सैटलमेन्ट विभाग ने बिना कोई जॉच किये खिलाफ कानून व खिलाफ मौके के प्रतिवादीगण जिनका उक्त आराजी से कभी कोई सम्बंध वो सरोकार नही रहा और ना ही आज मौके पर है, जिन्हे सम्वत 2029 से हाल जमाबन्दीयात में बिशनाराम का नाम दर्ज कर दिया तथा बिशनाराम की फौतगी के बाद उसके वारिशान भी रिकोर्ड पर दर्ज किये हुऐ है। जबकि मौके पर आज भी वादीगण काबिज काश्त है।
5. यह है कि पूर्व में उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मिन वादीगण को नही रही अब दिनाक 7/2/2023 को हल्का पटवारी के पास क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतू राजस्व रकोर्ड की नकल लेने गये तो हल्का पटवारी ने बताया कि राजस्व रिकोर्ड में सैटलमेन्ट से पर्व आपके पिताध्दादा मूलिया का नाम दर्ज हो रहा है लेकिन सैटलमेन्ट के बाद स० 2029 से हाल जमाबन्दीयात में प्रतिवादीगण के पिता बिशनाराम का दर्ज है। जिसे दुरूस्त कराना पड़ेगा।
6. यह है कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर नकल हांसिल की व प्रतिवादी स० 14 से गलत इन्द्राज की दुरूस्ती कराने बाबत निवेदन किया तो यही जवाब दिया की अदालत से आदेश लेकर आओ। उसके बाद प्रतिवादी से भी दुरूस्ती कराने बाबत कहा तो पहले तो हॉ करते रहे लेकिन अब दिनांक 16/2/2023 को प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने से साफ इन्कार कर दिया व धमकी दी कि राजस्व रिकोर्ड में हमारे नाम का अंकन हो रहा है तथा हम उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय करेगे व तुम्हे बेदखल कर इसमें पत्थर, रूडी डालेगे एवं निर्माण करेगे। यदि वाकई में प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी तथा अपने अधिकारो से वंचित होना पडेगा इसलिए मिन वादीगण प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर हाल जमाबन्दीयात तक दुरूस्ती कराने व प्रतिवादीगण को जर्ये हु०ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (प्रा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. यह है कि अलबत्ता दायरी दावा से पूर्व प्रतिवादी स० 14 व 15 को मियादी नोटिस 2 माह का दिया जाना आवश्यक था, लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस देने का समय नही रहा, इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) जा०दी० का संलग्न वाद पत्र है।
8. यह है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रानोठ तह० मुण्डावर में स्थित है। जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है।
9. यह है कि डिकी दुरूस्ती इस आशय की जारी की जावे कि सम्वत 2029 से ताःहाल तक मिन वादीगण के नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे। दुरूस्ती की जावे।
10. यह है कि डिकी हु०ई० दवामी इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण आराजी हाल ख0न0 172 रकबा 0.44 हैक0 व 174 रकबा 1.14 है0, वाके ग्राम रानोठ तह० मुण्डावर में गलत नाम के अंकन का फायदा ना उठाये ना ही उक्त आराजी को कही रहन बैय करे, ना ही आराजी में पत्थर, रूडी, डालकर जबरन निर्माण कार्य करे। मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिती बनाये रखे।
11. यह है कि वादी ने वाद में प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस विधिवत तामिल कराई गई जिसपर तामिल होने पर सभी प्रतिवादीगण अदालत श्रीमान के उपस्थित नही आये जिसकी डाक रसीद श्रीमान की सेवा में पेश कर दी गई है।
12. यह है कि वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू–1 शीशराम, पी. डब्लू–2 करणसिंह, पी.डब्लू–3 बनेसिंह पी.डब्लू–4 कर्णसिंह, पी. डब्लू–5 राजेश, पी.डब्लू 6 रामधन, पी.डब्लू 7 महावीर व दस्तावेज जिसमें प्रदर्श स– 1 जमाबन्दी सम्वत 1955, प्रदर्श स0 – 2 जमाबन्दी 2003, प्रदर्श स0 3 जमाबन्दी सम्वत 2008–2011, प्रदर्श स० 4 जमाबन्दी 2012–2015, प्रदर्श स0– 5 जमाबन्दी सम्वत 2029, प्रदर्श स0 – 6 जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2019, प्रदर्श स० – 7 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, प्रदर्श स0 – 8 हाल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श स– 9 जमाबन्दी सम्वत 2073, प्रदर्श स0– 10 में जमाबन्दी सम्वत 2066, प्रदर्श सं0 – 11 में जमाबन्दी सम्वत 2065, प्रदर्श सं0 – 12 मे जमाबन्दी सम्वत 2058, प्रदर्श स0 – 13 में जमाबन्दी सम्वत 2052 पेश किये गय है।

अतः श्रीमान के समक्ष लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी फरमाया जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

संक्षिप्त विवेचन

वाद पत्र के अनुसार वादीगण के दादा/पिता मूलिया सैटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे तथा सम्वत 2029 से पूर्व तक राजस्व अभिलेखों में उनका नाम अंकित रहा है। मूलिया की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर निरंतर काश्त करते आ रहे हैं।

वादीगण का यह भी कथन है कि सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान बिना समुचित जांच के प्रतिवादीगण के पिता बिशनाराम का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं रहा

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तथा वे मौके पर कभी काबिज भी नहीं रहे। बिशनाराम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 शीशराम, पी.डब्ल्यू–2 करणसिंह, पी.डब्ल्यू–3 बनेसिंह, पी.डब्ल्यू–4 कर्णसिंह, पी.डब्ल्यू–5 राजेश, पी.डब्ल्यू–6 रामधन तथा पी.डब्ल्यू–7 महावीर के बयान तथा प्रदर्श स–1 से प्रदर्श–13 तक विभिन्न जमाबन्दियां, खतौनी एवं मिलान क्षेत्रफल आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं, जिनसे यह परिलक्षित होता है कि सैटलमेंट से पूर्व मूलिया का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज रहा है तथा वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा एवं काश्त होना प्रमाणित होता है।

प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस तामील होने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व अभिलेखों का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है।

प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि पर मूल रूप से मूलिया तथा उसके उत्तराधिकारी वादीगण का अधिकार एवं कब्जा रहा है तथा सैटलमेंट के समय बिशनाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादीगण का दावा प्रथमदृष्टया सिद्ध होता है तथा वे राजस्व अभिलेखों में दुरुस्ती कराकर अपने नाम अंकित करवाने एवं प्रतिवादीगण को विवादित भूमि में हस्तक्षेप करने से रोकने के अधिकारी हैं। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.44 है0 व 174 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर वर्तमान राजस्व अभिलेखों दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्ती किया जावें। डिक्री अनुसार तैयार की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (...)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन आर.ए.एस.

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
46 / 2023	29.03.2023	11.03.2026

बउनवान

1. शीशराम पुत्र परसराम जाति जाट निवासी रानोठ
2. रत्तीराम पुत्र परसराम जाति जाट निवासी रानोठ
3. आशाराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी रानोठ
4. करणसिंह पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी रानोठ
5. बनेसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी रानोठ
6. अतरसिह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी रानोठ
7. दाताराम पुत्र मूलिया जाति जाट निवासी रानोठ तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। (फौत)

7/1 मिश्रो देवी पत्नी दाताराम
7/2 भीमसिंह पुत्र दाताराम
7/3 सत्यवीर पुत्र दाताराम
7/4 रेशमा पुत्री दाताराम
7/5 सविता पुत्री दाताराम
7/6 बनारसी पुत्री दाताराम जातियान जाट निवासीयान रानोठ तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. रवि पुत्र पूरण जाति चमार निवासी रानोठ
2. पूजा पुत्री पूरण जाति चमार निवासी रानोठ
3. शिवानी पुत्री पूरण जाति चमार निवासी रानोठ
4. महादेवी पुत्री बिशनाराम जाति चमार निवासी रानोठ
5. बल्लाराम उर्फ राजकुमार पुत्र बिशनाराम जाति चमार निवासी रानोठ
6. बृजमोहन पुत्र भगवानी जाति चमार निवासी रानोठ
7. मुन्नी पुत्री भगवानी जाति चमार निवासी रानोठ
8. काला पुत्र चमेली जाति चमार निवासी रानोठ
9. मुन्नी पुत्री चमेली जाति चमार निवासी रानोठ
10. रूस्सी पुत्री चमेली जाति चमार निवासी रानोठ
11. सुन्नी पुत्री चमेली जाति चमार निवासी रानोठ
12. शारदा पुत्री बिशनाराम जाति चमार निवासी रानोठ
13. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
14. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर

<u>प्रतिवादीगण</u>

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (आर0ए0एस0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री नागराज शर्मा एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 11.03.2026** को **श्रीमती सृष्टि जैन, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी की जाती है :—

विवादित आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.44 है0 व 174 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर वर्तमान राजस्व अभिलेखों दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (का0दे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/3/26 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन वादी के मूल वाद का अंतिम निर्णय हो चुका है ऐसे में [illegible] इस पत्रावली की अग्रिम कार्यवाही को ड्रोप की जाती है पत्रावली फैसल शुमार हो तामील के बाद पत्रावली रिकार्ड रूम [illegible] दाखिल हो। [signature] सहायक कलक्टर (का०द्वै०) मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)	